

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
पत्रांक:- 24297-371 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19

दिनांक : इलाहाबाद : जून 05 , 2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय-वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा की दुकानों के पंचम चरण में व्यवस्थापन विषयक।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-16905-16979 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19 दिनांक इलाहाबाद मई 20 , 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त पत्र द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा की दुकानों के पाँचवें चरण का व्यवस्थापन ई-टेंडर/आफर मांगकर कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। ई-टेंडर/आफर की टेक्निकल बिड दिनांक 05.06.2018 को एवं फाइनैशियल बिड दिनांक 06.06.2018 को खोला जाना निर्धारित किया गया था।

अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त ई-टेंडर/आफर की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



(धीरज साहू)

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

24372-640

पत्रांक: / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि समस्त जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से उपरोक्त आदेश से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
- 6- संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का प्रदर्शन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7- समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का प्रदर्शन जनपद की वेबसाइट एवं ई-टेंडर पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें।
- 9- आबकारी आयुक्त द्वारा नामित समस्त सदस्य, जिला स्तरीय समिति, उ0प्र0।
- 10- गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(अ0म0 त्रिपाठी)

अपर आबकारी आयुक्त,
(लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास)
उत्तर प्रदेश